कार्यालय कलेक्टर, (भू–अभिलेख शाखा) जिला मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / 3583 / भू.अ. / अ.भू.अ. / 2018 मुंगेली, दिनांक 05.10.2018

प्रति,

उपसंचालक,
अचानकमार टाईगर रिजर्व
लोरमी

विषय :– अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित 03 ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) का पत्र कमांक./क/रीडर/2018 लोरमी दिनांक 25.09.2018
2. कार्यालय उप संचालक अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी का पत्र कमांक/व.प्रा./स्टोनो/2498 लोरमी दिनांक 18.07.2018

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत अचानकपुर टाईगर रिजर्व कोर क्षेत्र से व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण के विस्थापन हेतु ग्राम बिरारपानी, छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु ग्राम भारतपुर एवं ग्राम तिलईडबरा के व्यवस्थापन हेतु ग्राम सांवतपुर चिन्हाकिंत स्थल में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्श "स" संलग्न कर प्रेषित है।

कलेक्टर
मुंगेली (छ.ग.)

प्रदर्श–स

प्रमाण – पत्र

मेसर्स मुंगेली वनमंडल को अचानकमार टाईगर रिजर्व के द्वितीय चरण के ग्राम तिलईडबरा के विस्थापन कार्य हेतु मुंगेली जिला में मुंगेली वनमंडल के सांवतपुर गांव के वन भूमि RF 96 रकबा 234.718 हे. योग रकबा 234.718 हेक्टेयर में से 126.500 हेक्टेयर में व्यपवर्तन हेतु 126.500 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों की स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 126.500 हेक्टेयर एवं/राजस्व वन भूमि –निरंक– हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम सांवतपुर तहसील तखतपुर में स्थित है। (कक्ष कमांक 96 वन परिक्षेत्र लोरमी वनमंडल मुंगेली के अंतर्गत है।) में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 29.08.2018 को **(प्रदर्श–''ब'')** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–''अ'')** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव सावतपुर, ग्राम के सरपंच श्री प्यारेलाल जायसवाल की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 29.08.2018 को रखा गया था। (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 60 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	2	3	4
1	सांवतपुर (कक्ष क्र. 96 वन परिक्षेत्र लोरमी वनमंडल मुंगेली)	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 60 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 29.08.2018 निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **'' अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3(1) (e)** अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 29.08.2018/दिनांक 29.08.2018 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(डोमन सिंह)
कलेक्टर मुंगेली
एवं अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला–मुंगेली

प्रदर्श–स

प्रमाण – पत्र

मेसर्स मुंगेली वनमंडल को अचानकमार टाईगर रिजर्व के द्वितीय चरण के ग्राम बिरापानी, छिरहट्टा के विस्थापन कार्य हेतु मुंगेली जिला में मुंगेली वनमंडल के भारतपुर गावं के वन भूमि RF 557 रकबा 145.265 हे. RF 558 रकबा 150.139 हे. योग रकबा 295.404 हेक्टेयर में से 9.411, 119.389 योग रकबा 304.815 हेक्टेयर में व्यपवर्तन हेतु 304.815 हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों की स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 304.815 हे. एवं/राजस्व वन भूमि –निरंक– हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम भारतपुर तहसील लोरमी में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 22.08.2018 को **(प्रदर्श–"ब")** एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन **(प्रदर्श–"अ")** पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव भारतपुर, ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती संतोषी बाई की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 22.08.2018 को रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 60 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रतॉ रखने वाले व्यक्ति नही है।

<u>अथवा</u>

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैः–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	2	3	4
1	भारतपुर (कक्ष कं. 557,558 वन परिक्षेत्र लोरमी वनमंडल मुंगेली)	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 60 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22.08.2018 निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार **" अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1) (e)** अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 22.08.2018/दिनांक 22.08.2018 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(डोमन सिंह)
कलेक्टर मुंगेली
एवं अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला–मुंगेली